न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 281/2017/225 आरटीए

1. बलविन्द्र कौर पत्नि भूपेन्द्रसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 एफटीपी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यारआम लालसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 73 आरबी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. निर्मलसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 एफटीपी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. प्रकाश कौर पुत्री हरबंसकौर पत्नि जसवंतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 एफटीपी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. जसवंतसिंह पुत्र निर्मलसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 एफटीपी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 220/2015 अनवानी निर्मलसिंह बनाम बलविन्द्रकौर

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –24.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम तहसील संगरिया के चक 16 एफटीपी के खाता सं. 125/108 खाता भूपेन्द्रसिंह आदि मे 1.139 है0 व इसी चक के खाता सं. 57/174 खाता जसवंतसिंह आदि मे 1.833 है0 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका कभी विभाजन नही हुआ है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाने के आशय से प्रार्थी को उसके हक व हिस्से से वंचित करने के उदेश्य से अच्छी एवं उपजाउ भूमि पर अन्यत्र खुर्द बुर्द करने पर अमादा है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2013 को जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को दिनांक 07.07.2017 को ताफैसला कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। विचारणीय न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रकार की सूचना दिये दिनांक 07.07.2017 को पत्रावली पेशी मे लिया जाकर एकपक्षीय आदेश दिया गया है। पत्रावली संगरिया तहसील से संबंधित है इसलिये पत्रावली बाबत किसी भी अभियान बाबत कोई नोटिस नही दिया गया तथा अपीलांटा को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसमे विचारणीय न्यायालय द्वारा कानून की अनदेखी की है। अपीलांटा खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अपीलांटा द्वारा विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मे बहस हेतु कई बार प्रयास किये परन्तु रेस्पो0 सं. 3 हर बार प्रकरण को देरी ना करने की गर्ज से तारीख पेशी ले लेते तथा विचारणीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे हिस्से बाबत किसी प्रकार का विवाद नही है। विचारणीय न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद मात्र खाता विभाजन का है तथा खाता विभाजन के वाद मे किसी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यो की ओर ध्यान न देकर कानूनी भूल की है। अपीलांटा एक विधवा औरत है जो अक्सर बीमार रहती है तथा अपनी पैरवी हेतु अदालत आदि मे विधवा होने के कारण आने मे परेशानी होती है इसलिये अपीलांटा द्वारा एक मुखत्यार आम मुकर्रर किया हुआ है जिस कारण से अपीलांटा अपील जरिये मुखत्यार आम पेश कर रही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2008 पेज 762, आरआरटी 2010 (2) पेज 1392, आरआरटी 2012 (1) पेज 233, आरआरटी 2009 (1) पेज 25, आरआरटी 2009 (2) पेज 1399, आरआरटी 2016 (2) पेज 1323, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, आरआरटी 2013 (1) पेज 123

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा व रेस्पो0 की संयुक्त खाते की भूमि है इसलिये रेस्पो0/प्रार्थी का संयुक्त खातेदार के रूप मे उक्त अविभाजित भूमि के प्रत्येक ईंच पर कब्जा है। बिना विभाजन मे यह विनिर्दिष्ट रूप से नही कहा जा सकता कि संयुक्त खातेदारी की भूमि के किस हिस्से पर किस खातेदार का विशिष्ट रूप से कब्जा काश्त है। अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से उसका नाजायज फायदा उठाने के आशय से प्रार्थी के उसके हक व हिस्से के अधिकारो से वंचित करने के उदेश्य से अच्छी एवं उपजाउ भूमि को अन्यत्र खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 अपीलांट के विरूद्ध अनुतोष स्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी आधार पर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक वाद बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया ताकि अपीलांट विभाजन होने से पूर्व वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द या अन्तरण न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम संयुक्त खाते मे दर्ज है तथा रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि के संबंध मे खुर्द बुर्द या अन्तरण न करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व जारी अन्तरित आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है तथा रिकार्ड मे दर्ज हिस्से के संबंध मे कोई विवाद नही बल्कि विवाद खाता विभाजन का है। आरआरडी 2008 पेज 762 के अनुसार एक काश्तकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने हिस्से मे आनी वाली आराजी का विक्रय कर सकता है तथा उसको उसके हिस्से की आराजी को विक्रय करने से पाबंद नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2013 को अन्तरिम आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांटस को पाबन्द किया गया है कि ''वह वादग्रस्त भूमि को विभाजन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द या अन्तरण करने से निषेध रहे।'' उक्त अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला कन्फर्म किया गया है, उचित नही है एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रतिकूल है। अपीलांटस एक रिकार्डेड एवं सहखातेदार काश्तकार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नही किया जा सकता है तथा रेस्पो0 का वाद भी बाबत खाता विभाजन है एवं विभाजन के वाद मे संयुक्त खाते को उसके हिस्से की भूमि को बैचान न करने हेतु पाबंद नही किया जा सकता। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना उचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official